स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला कल्याण कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा सूचना

निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 1912 दिनांक 27.05.2008 एवं पत्रांक 1169 दिनांक 16.05.2018 के आलोक में अम्बेदकर आवासीय विद्यालय, मोतिहारा में मेस संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदा वाला/फर्म **दिनांक 07.09.2020 को 4.30 बजे** अपराह्न तक जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष तकनीकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित कर सकते है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें **दिनांक 08.09.2020 को 11.00 बजे** पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदा दाता स्वय या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। पूर्ण जानकारी इच्छुक निविदा दाता जिला के वेबसाइट **www.kishanganj.bih.nic.in** पर देख सकते है।

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा में सफल उम्मीदवार को विभाग द्वारा निर्धारित मीनू या उससे अच्छे मीनू के अनुसार आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन एवं नाश्ता की आपूर्ति करनी होगी।
2. भोजन एवं नाश्ते में गुणवत्ता का ख्याल रखना होगा।
3. निविदा में सफल उम्मीदवार को आवासीय विद्यालयों की ओर से भोजन बनाने एवं खाने के लिए बर्तन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। रसोईया की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता ही करेंगे।
4. आपूर्तिकर्ता भोजन बनाने में लगने वाले ईधन आदि का प्रबंध करेंगे।
5. निविदा में सफल होने वाले उम्मीदवार को जमानत के रूप में 25,000 रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी के पक्ष में एकरारनामा के समय जमा करना होगा, जो अनुबंध के सफल संचालन/समाप्ति के बाद आपूर्तिकर्ता को वापस किया जा सकेगा।
6. उच्चाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा संचालित मेस के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर आपूर्तिकर्ता के साथ किये गये एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सूरक्षित रहेगा।
7. आपूर्तिकर्ता को संचालन के तथा आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं को भोजन, नाश्ता इत्यादि उपलब्ध कराने के एवज में वर्ष के 10 माह के लिए भुगतान होगा। वर्ग 01 से 05 तक 1,210.00 (एक हजार दो सौ दस रूपये) मात्र तथा वर्ग 06 से 12 तक 1,610.00 (एक हजार छः सौ दस रूपये) प्रतिमाह भोजन (जलपान सहित) देय होगा।
8. निविदाता को GST से निबंधित होने एवं पैन नंम्बर तकनीकि निधि के साथ संलग्न करना है।
9. आवासीय विद्यालय में आपूर्तिकर्ता द्वारा मेस के सफल संचालन की समीक्षा कर उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह के अंत में आपूर्तिकर्ता को निर्धारीत दर के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।
10. निविदादाता को विगत तीन वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
12. विगत तीन वर्षो के सरकारी विभागों के आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र।
13. निविदा में स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात आपूर्ति किये गये सामग्रियों पर निर्धारित (GST) की राशि एवं आयकर कर राशि कटौती करके भुगतान की जायेगी।
14. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
15. किसी भी प्रकार का न्यायिक दावा किशनगंज जिला न्यायिक क्षेत्र के अन्तर्गत मान्य होगा।

19/8/2020

उप विकास आयुक्त

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय में मेस संचालन हेतु निम्नांकित मीनू निर्धारित की जाती है:–

(क)	नास्ता	दो दिन– पूरी + सब्जी दो दिन– कचौड़ी + सब्जी तीन दिन– फ्राईड राईस + छोला प्रत्येक दिन– गाय का दूध 150 मी0 लि0
(ख)	खाना	चावल + दाल + सब्जी + सलाद या पापड अथवा भुंजिया
(ग)	शाम का नास्ता	तीन दिन– भरी हुई कचौरी/समोसा दो दिन– Boiled Egg + मौसमी फल दो दिन– फल मौसमी + भूँजा
(घ)	रात्रि खाना	रोटी + सब्जी + दाल + खीर/सबई
	विशेष भोजन	प्रत्येक माह में प्रत्येक रविवार– चिकेन शाकाहारी– पनीर (चिकेन के समतुल्य)

नोटः– भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से निर्धारित दर

(क) वर्ग 01 से 05 तक 1210.00(एक हजार दो सौ दस) रूपये मात्र।

(ख) वर्ग 06 से 12 तक 1610.00(एक हजार छः सौ दस) रूपये मात्र।

19/8/2020

उप विकास आयुक्त
किशनगंज।